क्रम-संख्या—194

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 2 जुलाई, 2002

आषाढ़ 11, 1924 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

नगर विकास अनुभाग-3

संख्या 1823/नौ-3-2002-86मिस/2001-टीसी-II

लखनऊ, 2 जुलाई, 2002

अधिसूचना

प०आ०-428

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 1975) की धारा 4 की उपधारा (2-क) के साथ पठित धारा 96 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तर प्रदेश जल निगम (प्रबन्ध निदेशक के पद पर चयन की प्रक्रिया) नियमावली, 2002

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश जल निगम (प्रबन्ध निदेशक के पद पर चयन की प्रक्रिया) नियमावली, 2002 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2—प्रबन्ध निदेशक का पद 22400—525—24500 रुपये के वेतनमान का पद है।

चयन समिति का गठन

3—प्रबन्ध निदेशक के पद पर चयन एक चयन समिति द्वारा किया जायगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(क) राज्य सरकार का मुख्य सचिव	—	अध्यक्ष
(ख) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम	—	सदस्य
(ग) नगर विकास विभाग में राज्य सरकार का सचिव	—	सदस्य—सचिव
(घ) सार्वजनिक उदयम विभाग में राज्य सरकार का सचिव	—	सदस्य
(ङ) कार्मिक विभाग में राज्य सरकार का सचिव	—	सदस्य
(च) राज्य सरकार के मुख्य सचिव द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ।	—	सदस्य

(छ) मुख्य सचिव द्वारा नाम-निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का एक अधिकारी, यदि खण्ड (क) से (च) में निर्दिष्ट अधिकारियों में से कोई अधिकारी अनुसूचित जातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का न हो। — सदस्य

चयन के लिए पात्रता

4—प्रबन्ध निदेशक के पद पर चयन के लिए निगम के केवल ऐसे अभियन्ता पात्र होंगे, जो,—

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सिविल, विद्युत या यान्त्रिक अभियन्त्रण में कम से कम स्नातक की उपाधि या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता रखते हों, या

(ख) अभियन्ता संस्था, भारत (इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स, इण्डिया) की सदस्यता या एसोसियेट सदस्यता का भाग "क" और "ख" उत्तीर्ण हों, और

(ग) निगम में मुख्य अभियन्ता स्तर—एक का पद धारण करते हों और सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता स्तर—दो और मुख्य अभियन्ता स्तर—एक के रूप में निगम में कम से कम 25 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके हों।

चयन की प्रक्रिया

5—(1) निगम के प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिये चयन योग्यता के आधार पर किया जायेगा।

(2) नगर विकास विभाग में राज्य सरकार का सचिव, पात्र व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगा और उसे नियम 3 में निर्दिष्ट चयन समिति के समक्ष उनकी चरित्र पंजी और उनसे सम्बन्धित अन्य अभिलेखों सहित, प्रस्तुत करेगा।

(3) चयन समिति, उस वर्ष के, जिसमें चयन किया जा रहा हो, ठीक पूर्ववर्ती दस वर्ष की चरित्र पंजी और उप नियम (2) में निर्दिष्ट अन्य अभिलेखों के आधार पर पात्र व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी।

(4) चयन समिति उस व्यक्ति के नाम की संस्तुति करेगी, जो उसकी राय में, प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए सर्वाधिक योग्य हो, और राज्य सरकार तद्नुसार नियुक्ति करेगी।

आज्ञा से,
अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1823/IX-3-2002–86 MIS-2001-T.C.-II dated, July 2, 2002.

No. 1823/IX-3-2002–86 MIS-2001-T.C.-II

Dated Lucknow, July 2, 2002

IN exercise of the powers under section 96 *read* with sub-section (2-A) of section 4 of the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975 (U.P. Act no. 43 of 1975), the Governor is pleased to make the following rules:-

THE UTTAR PRADESH JAL NIGAM (PROCEDURE FOR SELECTION TO THE POST OF THE MANAGING DIRECTOR) RULES, 2002

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Jal Nigam (Procedure for Selection to the post of Managing Director) Rules, 2002.

(2) They shall come into force at once.

Status of the Service

2. The post of the managing Director is a post of the scale of pay of Rs. 22400-525-24500.

Constitution of Selection Committee

3. The Selection to the post of the Managing Director shall be made through a Selection Committee, comprising :-

(a) Chief Secretary to the State Government	–	*Chairman*
(b) Chairman, Uttar Pradesh Jal Nigam	–	*Member*
(c) Secretary to the State Government in the Nagar Vikas Vibhag.	–	*Member–Secretary*
(d) Secretary to the State Government in the Public Enterprises Department.	–	*Member*
(e) Secretary to the State Government in the Personnel Department.	–	*Member*
(f) An expert nominated by the Chief Secretary to the State Government.	–	*Member*
(g) An officer belonging to the Scheduled Castes or other backward classes of citizens, nominated by the Chief Secretary, if the officers referred to in clauses *(a)* to *(f)* do not belong to Scheduled Castes or other backward classes of citizens.	–	*Member*

Eligibility for selection

4. only those Engineers of the Nigam shall be eligible for selection to the post of the managing Director, who,-

(a) possess atleast a Bachelor's Degree in Civil, Electrical or Mechanical Engineering from a University established by law in India or a qualification recognised by the State Government as equivalent thereto; or

(b) have passed Part "A" and "B" of the Membership or Associate Membership of the Institution of Engineers India; and

(c) are holding the post of Chief Engineer level-I in the Nigam and have completed atleast 25 years of continuous service as Assistant Engineer, Executive Engineer, Superintending Engineer, Chief Engineer level-II and Chief Engineer level-I in the Nigam.

Procedure for selection

5. 1. Selection for appointment to the post of the Managing Director of the nigam shall be made on the basis of merit.

2. The Secretary to the State Government in the Nagar Vikas Vibhag shall prepare a list of eligible persons and place it before the selection committee referred to in rule 3, along with their character rolls and other records pertaining to them.

3. The Selection Committee shall consider the cases of eligible persons on the basis of the character rolls for ten years immediately preceding the year in which the selection is made and other records, referred to in sub-rule (2).

4. The Selection Committee shall recommend the name of the person who, in its opinion, is most meritorious for appointment to the post of the managing Director, and the State Government shall make appointment accordingly.

By Order,
ATUL KUMAR GUPTA,
Principal Secretary.

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 283 राजपत्र--(हि०)--2002--(606)--597--कम्प्यूटर [illegible]।
पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 1 सा० नगर विकास--2002--([illegible])--500--कम्प्यूटर [illegible]।